न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 110/2022 राजस्व अपील

1. राधेश्याम पुत्र श्री गील्या उर्फ गील्याराम जाति मीना निवासी ग्राम सीकरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय निर्णय दिनांक 28.01.2022 न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 326/2021 उनवानी प्रकरण उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम अतर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांकः 25.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सीकरी द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय की गई कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 269 व 264 कुल रकबा 0.02 है. किस्म चरागाह वाके ग्राम सीकरी तहसील सिकराय पर सम्वत 2078 में अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त कर अतिचार किया है। अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना गलत आधारों पर अपीलान्ट को धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोष सिद्व किया जाकर बेदखली व 50 गुना लगान व 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की विधिवत तामील हुये बिना झूंठी तामील मानकर एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना तथा पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:14 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होता हो। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि पर किया गया पक्का निर्माण काफी पुराना है। अपीलान्ट को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। उक्त भूमि कब्जे के आधार पर प्रार्थी के नाम नियमन करने योग्य थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमन की सिफारिश न कर निर्णय जेर अपील फरमा दिया। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का सीधा सादा व्यक्ति है, जिसको उक्त प्रकरण में निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सीकरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 269 रकबा 0.01 है. खसरा नम्बर 264 रकबा 0.01 है. किस्म चरागाह पर पक्का मकान व पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवृत्ति अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 28.1.2022 पारित कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 269 रकबा 0.01 है. खसरा नम्बर 264 रकबा 0.01 है. किस्म चरागाह पर पक्का मकान व पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवृत्ति अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र एवं बहस में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:09:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा